



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

14 वैशाख 1940 (श०)  
(सं० पटना 410) पटना, शुक्रवार, 4 मई 2018

---

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

4 मई 2018

सं० एल०जी०-01-02/2018-28 लेजा।— बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 20.04.2018 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार –राज्यपाल के आदेश से,  
मनोज कुमार,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

[बिहार अधिनियम-04, 2018]

**बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018**

**बिहार राज्य में विद्युत ऊर्जा के उपभोग पर शुल्क उद्ग्रहण तथा इससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम।**

प्रस्तावना।— चूँकि, केन्द्र सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिनियमितिकरण के चलते विद्युत उत्पादन, संचरण और आपूर्ति प्रबंधन में आमूल परिवर्तन किए गए हैं तथा पावर ट्रेडिंग, पावर का विनिमय, खुली पहुँच, विद्युत उत्पादन का डिलाइसेंसिंग आदि लागू किए गए हैं जो बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 के भाग नहीं हैं; और उक्त विद्युत अधिनियम द्वारा किए गए परिवर्तनों पर विचारण के पश्चात् बिहार सरकार ने विचार किया है कि बिहार राज्य में उक्त विद्युत अधिनियम के अनुसार विद्युत उपभोक्ताओं के सभी कोटि को आच्छादित करते हुए तथा विद्यमान बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम को निरसित करते हुए विद्युत उपभोग पर शुल्क के उद्ग्रहण के लिए एक व्यापक विधि बनाना समीचीन है;

इसलिए, अब, भारत-गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार, और आरंभ।**—(1) यह अधिनियम बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह इसके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. **परिभाषाएँ।**—(1) इस अधिनियम में, जबतक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "कैप्टिव उत्पादन" से अभिप्रेत है विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-2 के खंड (8) तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन इस निमित्त बनाई गई नियमावली में परिभाषित कैप्टिव उत्पादन प्लांट से उत्पादित उर्जा;

(ख) "सह उत्पादन" से अभिप्रेत है प्रक्रिया में उत्पादित ऊर्जा जो लगातार विद्युत सहित उपयोगी ऊर्जा का दो या अधिक रूप में उत्पादन करता है;

(ग) "आयोग" से अभिप्रेत है विद्युत अधिनियम की धारा-82 के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित बिहार विद्युत विनियामक आयोग;

(घ) "उपभोक्ता" से अभिप्रेत है कोई भी व्यक्ति जिसे विद्युत अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अनुज्ञप्तिधारी अथवा सरकार द्वारा उसको स्वयं के उपयोग के लिए अथवा आम जन को, विद्युत आपूर्ति करने के व्यवसाय में लगे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विद्युत की आपूर्ति की जाती है और इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है जिसके परिसर तत्समय, यथास्थिति, किसी अनुज्ञप्तिधारी, सरकार या ऐसे अन्य व्यक्ति के कार्यों से विद्युत प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ जुड़े हों, किंतु इसमें ऐसा कोई व्यक्ति शामिल नहीं है जिसे उत्पादक कंपनी और किसी अनुज्ञप्तिधारी अथवा अनुज्ञप्तिधारियों के बीच करार के अधीन विद्युत की आपूर्ति की जाती है;

(ङ) "उपभोग चार्ज" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा तथा किसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति को, जो किसी उपभोक्ता को ऐसी अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति करता है, जिसमें आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ के मांग चार्ज, परिवर्तनीय चार्ज जैसे ऊर्जा चार्ज, ईंधन समायोजन चार्ज तथा विश्वसनीयता चार्ज शामिल हैं किंतु इसमें, यथास्थिति, विलंब या तत्परता से भुगतान, पावर फैक्टर, हारमोनिक्स, लोड फैक्टर, उस पर प्रभारित व्याज तथा निर्धारण पर प्रशमन चार्ज के लिए दंड प्रभार या प्रोत्साहन शामिल नहीं हैं;

(च) "विद्युत निरीक्षक" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा-8 की उपधारा (1) तथा विद्युत अधिनियम की धारा-162 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति;

(छ) "विद्युत अधिनियम" से अभिप्रेत विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36);

(ज) "ऊर्जा" से अभिप्रेत है किसी भी प्रयोजन के लिए उत्पादित, परिषित, वितरित, उपभुक्त, व्यापार की गई अथवा चक्रचालित विद्युत ऊर्जा;

(झ) "उत्पादक कंपनी" से अभिप्रेत है कोई कंपनी या निगम निकाय, या व्यक्ति संगम या निकाय चाहे निगमित हो या नही, अथवा कृत्रिम अधिकारिक व्यक्ति जो उत्पादन स्टेशन का स्वामी हो अथवा चलाता अथवा संधारित करता हो;

(ञ) "सरकार" या "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

(ट) "स्वतंत्र शक्ति उत्पादक" से विद्युतीय ऊर्जा का उत्पादक जो एक लोक उपयोगिता न हो किंतु जो उपयोगिताओं अथवा अंतिम उपभोक्ताओं को विक्रय के लिए विद्युतीय ऊर्जा उपलब्ध कराता हो;

- (ठ) "उद्योग" से अभिप्रेत है बिहार राज्य में, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, इस रूप में घोषित कोई औद्योगिक उपक्रम और इसमें राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, घोषित विभिन्न औद्योगिक नीतियों द्वारा आच्छादित उद्योग शामिल है;
- (ड) "निरीक्षण प्राधिकारी" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा-8 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई प्राधिकारी;
- (ढ) "अनुज्ञप्तिधारी" से अभिप्रेत है विद्युत अधिनियम की धारा-14 के अधीन विद्युत में परिषण, वितरण, आपूर्ति व्यापार के लिए, जिसे अनुज्ञप्ति दी गई हो और इसमें वे शामिल हैं जो माने गये अनुज्ञप्तिधारी की हैसियत रखते हैं और वे भी जिन्हें विद्युत अधिनियम की धारा-13 के अधीन छूट प्राप्त है।
- (ण) "खुली पहुँच" से अभिप्रेत है आयोग द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार किसी अनुज्ञप्तिधारी अथवा उपभोक्ता अथवा उत्पादन में लगे किसी व्यक्ति द्वारा परिषण लाइन वितरण प्रणाली अथवा ऐसी लाइन या प्रणाली से संबंधित सुविधाओं के उपयोग के लिए अविभेदकारी प्रावधान;
- (त) "विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाई गई नियमावली द्वारा विहित;
- (थ) "नवीकरणीय ऊर्जा" से अभिप्रेत है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से उत्पादित ग्रिड गुणवत्ता वाली विद्युत जो धरती के प्राकृतिक वातावरण का एक भाग हो और जो कालक्रम के साथ या तो जैविक पुनरुत्पादन या अन्य प्राकृतिक रूप से आवर्ती प्रक्रियाओं यथा-सूर्य की रोशनी, हवा, वर्षा, ज्वार, लहरों, भूतापीय गर्मी, बायोमास, बायोईंधन से पुनः पूर्ति हो सके किंतु इसमें फोसिल ईंधन शामिल नहीं है;
- (द) "नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत" से अभिप्रेत है नवीकरणीय स्रोत, यथा मिनी, माइक्रो तथा स्मॉल हाइड्रो, विंड, सोलर, बायोमास, जिसमें बगास अथवा एग्रीकल्चरल वेस्ट, बायोईंधन, शहरी अथवा नगरीय सॉलिड वेस्ट, औद्योगिक वेस्ट तथा भारत सरकार के नई तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त या अनुमोदित ऐसे अन्य स्रोत;
- (ध) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची;
- (न) "स्टैंडबाई उत्पादन" से अभिप्रेत संधारण, मरम्मत के संबंध में विद्युत आपूर्तिकर्ता द्वारा, असफलता, बाधा या लोड शेडिंग या आउटेज के कारण विद्यमान अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत आपूर्ति की अनुपस्थिति में किया गया विद्युत उत्पादन किंतु विद्युत अधिनियम की धारा-56 के प्रावधानों के अनुसार भुगतान के व्यतिक्रम में आपूर्ति के संबंध विच्छेद के कारण नहीं;
- (प) "इकाई" से अभिप्रेत है प्रति घंटे किलोवाट में उपभोग की गई ऊर्जा के माप की इकाई;
- (2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किंतु इसमें अपरिभाषित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो विद्युत अधिनियम, 2003 में उनके प्रति समनुदेशित किए गए हों।

**3. उपभोग की गई ऊर्जा की इकाई पर शुल्क।-** (1) उपधारा (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर शुल्क (एतत्पश्चात् "विद्युत शुल्क" के रूप में निर्देशित) उद्ग्रहित किया और राज्य सरकार को संदत्त किया जाएगा:-

- (क) उपभोग चार्ज पर जहाँ ऊर्जा की आपूर्ति अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की जाती है, या
- (ख) किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा की इकाई जहाँ ऐसी ऊर्जा निम्नलिखित के माध्यम से उत्पादित की जाती है:-
- (i) कैप्टिव उत्पादन;
- (ii) सह उत्पादन;
- (iii) स्टैंडबाई उत्पादन;
- (iv) नवीकरणीय ऊर्जा; अथवा
- (v) स्वतंत्र शक्ति उत्पादक; या
- (ग) उपभुक्त ऊर्जा की इकाई जो खंड (क) एवं खंड (ख) के अधीन आच्छादित नहीं है यथा खुली पहुँच अथवा अन्य श्रोत।
- (2) उपभोग चार्ज अथवा उपभुक्त ऊर्जा पर विद्युत शुल्क उद्ग्रहित नहीं किया जाएगा:-
- (i) भारत सरकार द्वारा अथवा भारत सरकार को उस सरकार द्वारा उपभोग के लिए विक्रय;
- (ii) अपना रेलवे प्रवर्तन करनेवाली किसी रेलवे कंपनी के निर्माण, संधारण या प्रवर्तन में अथवा उस सरकार या किसी ऐसे रेलवे कंपनी को किसी रेलवे के निर्माण, संधारण, प्रवर्तन में उपभोग के लिए बेची गई;
- (iii) किसी प्रयोजन के लिए जो राज्य सरकार, अधिसूचना, द्वारा, उस निमित्त लोक प्रयोजन होना घोषित करे तथा ऐसी छूट ऐसी शर्तों और छूट के अध्यक्षीन हों जिसे उक्त अधिसूचना में उल्लिखित किया जाय;

- (iv) विद्युत अधिनियम के अधीन किसी परिषण तथा वितरण प्रणाली, उसमें उपरांत हानि सहित, के निर्माण, संधारण, प्रवर्तन से सीधे संबंधित प्रयोजनों के लिए किसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अथवा आमजनों को विद्युत आपूर्ति करने के व्यवसाय में लगे किसी व्यक्ति द्वारा;
- (v) उत्पादन संयंत्र के सीधे निर्माण, संधारण और प्रवर्तन से संबंधित प्रयोजनों के लिए किसी उत्पादक कंपनी द्वारा;
- (vi) मेट्रो और मोनोरेल को छोड़कर वाहनों अथवा जहाजों के उपयोग के लिए इसे आपूर्ति करने के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति द्वारा जहाँ ऊर्जा उत्पादित की जाती हो;
- (vii) जहाँ विद्युत का उत्पादन 100 भोल्ट से अनधिक किया जाता हो।

(3) उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आवासीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त परिसरों के संबंध में, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची के अनुसार उपभोग चार्ज पर विद्युत शुल्क उद्ग्रहीत किया और राज्य सरकार को संदत्त किया जाएगा।

**4. विद्युत शुल्क में छूट देने की शक्ति।**—उन शर्तों के अध्यक्षीन जो अधिरोपित की जाये, राज्य सरकार, यदि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझे, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, भावी अथवा भूतलक्षी प्रभाव से, ऊर्जा के उपभोग पर राज्य के पूरे अथवा किसी भाग में, परिसरों अथवा प्रयोजनों के किसी वर्ग के संबंध में, उन क्षेत्रों में और उस अवधि के लिए जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाय, अथवा विनिर्दिष्ट सीमा तक उपभोग की गई ऊर्जा के संबंध में, अनुसूची के अनुसार भुगतये पूर्ण विद्युत शुल्क अथवा उसके भाग के भुगतान से, निम्नलिखित का ध्यान रखते हुए, छूट दे सकेगी:—

- (i) इसमें प्रचलित ऊर्जा का मूल्य और उपलब्धता और औद्योगिक या कृषि विकास, शैक्षणिक, चिकित्सा सहायता, सुविधाएँ, सामाजिक स्थितियाँ की स्थिति; तथा
- (ii) विभिन्न नीतियों तथा आवश्यकताओं एवं इस निमित्त विनिर्दिष्ट सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, घोषित क्षेत्रों में समग्र विकास की दशाओं:

परंतु इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई बात इस अधिनियम के आरंभ के पूर्व इस संबंध में निर्गत किसी आदेश को प्रभावित नहीं करेगी और ऐसा आदेश, उसमें उल्लिखित अवधि की समाप्ति तक और जहाँ वह अवधि उल्लिखित न हो, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन इस संबंध में किसी अगला आदेश निर्गत होने तक प्रवृत्त रहेगा।

**5. विद्युत शुल्क की दरों को उपांतरित करने की शक्ति।**—राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उन शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाये, उपभोक्ता के किसी ऐसे वर्ग, उत्पादन के ऐसे प्रकार, वैसे क्षेत्रों तथा उस अवधि, जो विनिर्दिष्ट किए जाये, के संबंध में विद्युत शुल्क की दरों को उपांतरित कर सकेगी।

**6. विद्युत शुल्क का भुगतान और वसूली।**—(1) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित आधारित देय उचित विद्युत शुल्क, विहित समय और रीति से, संग्रह करेगा तथा राज्य सरकार को संदत्त करेगा—

- (i) इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची के भाग—'क' के अनुसार धारा—3 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन वर्गीकृत उपभोक्ताओं को उसके द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा के संबंध में उपभोग चार्ज;
- (ii) इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची के भाग—'ग' के अनुसार, धारा—3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अन्तर्गत वर्गीकृत खुली पहुँच सुविधा का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को चक्र चालन द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा के संबंध में उपभुक्त ऊर्जा की इकाईयाँ और इस अधिनियम में संलग्न अनुसूची के भाग 'क' में उल्लेखित वितरण कंपनी या अनुज्ञप्तिधारी के उपभोग प्रभार की प्रचलित दर।

(2) वैसे भुगतये शुल्क अनुज्ञप्तिधारी से, उसके द्वारा आपूर्ति की गई या चक्रचालित ऊर्जा के लिए, वसूलनीय राशि पर प्रथम भार होगा और उसपर राज्य सरकार का बकाया ऋण होगा।

(3) प्रत्येक व्यक्ति जो धारा—3 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन आता है, और जो पूर्णतः या अंशतः ऊर्जा का उपभोग स्वयं अथवा किसी व्यक्ति को आपूर्तिकर्ता है, विहित समय और रीति से, यथास्थिति, स्वयं अथवा उपभोक्ताओं जिन्हें उसने ऊर्जा की आपूर्ति की है, द्वारा उपभुक्त ऊर्जा के संबंध में इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची के भाग—ख के अनुसार उपभुक्त ऊर्जा के संबंध में, इस अधिनियम के अधीन देय उचित विद्युत शुल्क का भुगतान राज्य सरकार को करेगा। वह, अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें उसने ऊर्जा की आपूर्ति की है, उपभुक्त ऊर्जा पर विद्युत शुल्क के भाग की वसूली कर सकेगा।

(4) प्रत्येक व्यक्ति जो अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादक कंपनी नहीं है और धारा—3 की उप—धारा (1) के खंड (ग) के अधीन आता है और ऊर्जा का उपभोग स्वयं के उपयोग के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से उपभोग करता है या किसी अन्य व्यक्ति को आपूर्ति करता है, अपने अनुज्ञप्तिधारी के माध्यम से उपभोक्ताओं को की गई ऊर्जा आपूर्ति या अपने द्वारा उपभोगित ऊर्जा के संबंध में इस अधिनियम के अधीन देय उचित विद्युत शुल्क का भुगतान संलग्न अनुसूची

के भाग 'ग' के अनुसार राज्य सरकार को करेगा। वह अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से, जिन्हें उसने ऊर्जा की आपूर्ति की है, उनके द्वारा उपभुक्त ऊर्जा पर विद्युत शुल्क का भाग वसूल कर सकेगा।

(5) उपधारा (3) और (4) में अंतर्विष्ट कोई बात लागू नहीं होगी यदि ऊर्जा की आपूर्ति अनुज्ञप्तिधारी को की गई हो।

(6) जहाँ कोई व्यक्ति, विहित समय पर और विहित रीति से बकाया विद्युत शुल्क की राशि का भुगतान करने में असफल होता है या उपेक्षा करता है, यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी अथवा ऊर्जा आपूर्ति करने वाला व्यक्ति, धारा-12 के अधीन राशि वसूल करने के राज्य सरकार के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस उपभोक्ता या व्यक्ति को, जिसे ऊर्जा की आपूर्ति की गई है, न्यूनतम स्पष्ट सात दिनों की लिखित रूप से सूचना देने के बाद, अनुज्ञप्तिधारी अथवा व्यक्ति के पास जमा अथवा बकाया वापसी, यदि कोई हो, की रकम से विद्युत शुल्क की कटौती कर सकेगा। उस उपभोक्ता या व्यक्ति की ऊर्जा की आपूर्ति, यदि उसके पास प्राप्त जमा या वापसी से बकाया वसूलनीय न हो, काटी जा सकेगी और वह, उपभुक्त ऊर्जा पर उपभोग चार्ज के संबंध में बकाया किसी चार्ज या रकम की वसूली के लिए विद्युत अधिनियम की धारा-56 की उपधारा (1) द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, इस प्रयोजनार्थ, कर सकेगा।

(7) अनुज्ञप्तिधारी उस राशि के रिबेट का हकदार होगा जो राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, उस अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपगत शुल्क के संग्रहण के खर्च का ध्यान रखते हुए विनिश्चित की जाय।

(8) पूर्ववर्ती उपधाराओं में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि किसी अनुज्ञप्तिधारी अथवा उपभोक्ताओं या अपने उपयोग के लिए ऊर्जा की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति की ओर से, गलत मीटर रीडिंग अथवा अनुसूची के किसी विशिष्ट भाग या खंड के अधीन गलत वर्गीकरण के चलते उचित विद्युत शुल्क के भुगतान में वास्तविक चूक हुई है तो राज्य सरकार, किसी भी समय, आदेश द्वारा, भूतलक्षी प्रभाव से, धारा-11 के अधीन विलंब से भुगतान के लिए देय, यदि कोई हो, उचित दर पर बकाए विद्युत शुल्क की राशि अथवा उसके किसी भाग की राशि और उसके ब्याज के राशि की वसूली अधित्यक्त अथवा अपलिखित कर सकेगी।

**7. अनुज्ञप्तिधारी आदि द्वारा लेखा बही रखना और रिटर्न प्रस्तुत किया जाना।**—प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी और ऊर्जा का उपयोग करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, धारा-3 की उपधारा (2) के अधीन विद्युत शुल्क से विमुक्ति प्राप्त मामले को छोड़कर, जो धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन आता है, विहित प्ररूप में लेखा बही रखेगा और राज्य सरकार को अथवा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त अधिकारी को यथाविहित प्ररूप में और समय पर, यथास्थिति, उसके द्वारा उपभुक्त अथवा उसके द्वारा प्रत्येक उपभोक्ता को आपूर्ति की गई विद्युत की इकाई तथा उसपर भुगतेय शुल्क की राशि तथा धारा-6 के अधीन उसके द्वारा वसूल अथवा भुगतान की गई देय शुल्क की राशि को दर्शाते हुए रिटर्न सुपुर्द करेगा।

**8. इस अधिनियम के अधीन अधिकारी।**—(1) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 और बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन नियुक्त अधिकारी इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियुक्त समझे जाएंगे।

(2) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त प्रत्येक अधिकारी भारतीय दंडसंहिता की धारा-21 के अर्थातर्गत लोक सेवक माना जाएगा।

**9. निरीक्षण प्राधिकारी की शक्ति।**—(1) इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा बनाई गई किसी नियमावली के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, निरीक्षण प्राधिकारी निम्नलिखित कर सकेगा:—

- (i) वैसी बही और वैसे अभिलेखों के निरीक्षण के लिए उपस्थापन की अपेक्षा करना जो इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय विद्युत शुल्क की राशि को विनिश्चित या सत्यापित करने के लिए आवश्यक हो;
- (ii) निम्नलिखित के प्रयोजनार्थ किसी परिसर में प्रवेश करना और तलाशी लेना जहाँ ऊर्जा की आपूर्ति की जाती हो या आपूर्ति किए जाने का विश्वास हो—
  - (क) धारा-7 के अधीन सुपुर्द किए गए रिटर्न का सत्यापन करने तथा लेखा बहियों में दिये गए विवरण ;
  - (ख) मीटर की चेकिंग, रीडिंग तथा जाँच करने;
  - (ग) विद्युत शुल्क के उद्ग्रहण के संबंध में अपेक्षित विशिष्टियों को सत्यापित करने;
- (iii) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाई गई नियमावली के प्रयोजनों के क्रियान्वित करने के लिए जो आवश्यक हो वैसी अन्य शक्तियों के प्रयोग तथा वैसे कृत्यों के अनुपालन करने;

(2) उपधारा (1) के अधीन की गई सभी तलाशी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

**10. शुल्क का निर्धारण।**—(1) यदि विहित प्राधिकारी, किसी साक्ष्य उपस्थापन के लिए निर्धारिती की उपस्थिति की अपेक्षा किए बिना, संतुष्ट होता है कि दिया गया रिटर्न सही और पूर्ण है तो वह ऐसे रिटर्न के आधार पर निर्धारितियों के देय शुल्क की राशि का निर्धारण करेगा।

(2) (क) यदि विहित प्राधिकारी का, साक्ष्य के उपस्थापन के लिए निर्धारितियों की उपस्थिति की अपेक्षा के बिना समाधान न हों कि किसी अवधि के संबंध में दिया गया रिटर्न सही और पूर्ण है अथवा जहाँ अनुसूची के भाग या खंड के संबंध में, कि किस कोटि के अधीन, ऊर्जा का उपयोग आता है, अथवा जहाँ ऊर्जा का उपयोग विभिन्न

उपयोगिता प्रयोजनों के लिए किया जाता है, उपयोग का कौन भाग उस भाग या खंड द्वारा शासित होगा, का प्रश्न उत्पन्न हो तो वह उससे उसमें विनिर्दिष्ट तिथियों, समय तथा स्थान पर स्वयं उपस्थित होने अथवा किसी साक्ष्य को, जिसपर निर्धारिती उस रिटर्न के समर्थन में निर्भर करता हो, उपस्थापित करने अथवा करवाने हेतु अपेक्षा करते हुए निर्धारितियों को विहित रीति से सूचना देगा।

(ख) सूचना में विनिर्दिष्ट तिथि को अथवा उसके बाद, यथाशीघ्र, विहित प्राधिकारी, ऐसा साक्ष्य जो निर्धारिती उपस्थापित करे और ऐसे अन्य साक्ष्य जिसकी अपेक्षा विनिर्दिष्ट बिन्दु पर विहित प्राधिकारी द्वारा की जाय, निर्धारिती के बकाए शुल्क की राशि का निर्धारण करेगा।

(3) यदि निर्धारिती किसी अवधि से संबद्ध रिटर्न देते हुए उपधारा (2) के अधीन नोटिस की सभी शर्तों को पूरा करने में असफल रहता है अथवा उसके द्वारा उपस्थापित लेखा और अन्य साक्ष्य, विहित प्राधिकारी की राय में पूर्णतः या अंशतः अशुद्ध, अपूर्ण या अविश्वसनीय हो तो उक्त प्राधिकारी, अपने सर्वोत्तम विवेक से, शुल्क की राशि, यदि कोई हो, निर्धारिती से बकाया का निर्धारण करेगा।

(4) यदि निर्धारिती किसी अवधि के संबंध में रिटर्न दाखिल करने में असफल रहता है तो विहित प्राधिकारी, निर्धारिती को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद, अपने सर्वोत्तम विवेक से, शुल्क की राशि, यदि कोई हो, निर्धारिती से बकाए का निर्धारण करेगा।

(5) यदि जानकारी प्राप्त होने पर या अन्यथा यदि विहित प्राधिकारी का समाधान हो जाय कि यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार विद्यमान है कि निर्धारिती अथवा निर्धारिती के अलावे कोई व्यक्ति किसी अवधि के संबंध में शुल्क भुगतान का दायी है और ऐसा होने पर भी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने में जानबूझकर असफल रहता है तो विहित प्राधिकारी, निर्धारिती को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद, अपने सर्वोत्तम विवेक से, निर्धारिती अथवा किसी अन्य व्यक्ति पर ऐसी अवधि और पश्चात्पूर्वी अवधि के संबंध में बकाए शुल्क की राशि, यदि कोई हो, का निर्धारण करेगा और विहित प्राधिकारी निर्धारिती अथवा किसी अन्य व्यक्ति को उस प्रकार निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त शास्ति के रूप में, उस अवधि के प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान अनुज्ञप्तिधारी अथवा कोई अन्य व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने में असफल हुआ हो, पचास रुपये की राशि अथवा निर्धारित शुल्क की राशि के समतुल्य राशि, जो भी कम हो, देने का निदेश दे सकेगा:

परंतु उस अवधि की समाप्ति से, जिससे उसका संबंध हो, चार वर्षों की समाप्ति के पूर्व के सिवाय ऐसे निर्धारण के लिए कोई भी कार्यवाही आरंभ नहीं की जाएगी:

परंतु और कि इस उपधारा के अधीन आरंभ की गई कोई भी कार्यवाही आरंभ की तिथि से दो वर्षों की अवधि के भीतर समाप्त कर दी जाएगी।

**11. अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील।**—(1) इस अधिनियम के अधीन तथा उसके अधीन बनाई गई नियमावली के अधीन शास्ति के साथ या शास्ति के बिना पारित निर्धारण आदेश पर आपत्ति करने वाला कोई अनुज्ञप्तिधारी या अन्य व्यक्ति, विहित अवधि के भीतर और विहित रीति से, विहित प्राधिकारी के समक्ष, ऐसे निर्धारण आदेश, शास्ति अथवा दोनों के विरुद्ध अपील कर सकेगा:

परंतु ऐसे प्राधिकारी द्वारा कोई भी अपील तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक इसका समाधान न हो जाय कि निर्धारित शुल्क का बीस प्रतिशत अथवा शुल्क की वह राशि जिसे अपीलार्थी अपने पर बकाया स्वीकार कर लिया हो, जो भी अधिक हो, संदत्त न कर दी गई हो।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, माँग की सूचना की प्राप्ति के पैंतालीस दिनों के भीतर फाइल की जाएगी, किन्तु जहाँ अपील प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास समय के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था, वहाँ वह विलम्ब को माफ कर सकेगा।

(3) उन नियमों के अधीन रहते हुए जो विहित किए जाय, अपीलीय प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन अपील का निपटारा करते समय निम्नलिखित कर सकेगा:—

(क) निर्धारण या शास्ति दोनों को बातिल संपुष्ट अथवा दोनों में कमी, बढ़ोतरी कर सकेगा;

(ख) निर्धारण या शास्ति अथवा दोनों को खारिज कर सकेगा और निर्धारण करने वाले अधिकारी को, ऐसी आगे जाँच-पड़ताल, करने के बाद जिसे अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निदेशित की जाय, नया निर्धारण करने हेतु निदेश दे सकेगा।

(4) इन नियमों के अधीन रहते हुए जो विहित किए जाय और लिखितरूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, विहित प्राधिकारी, आवेदन पर अथवा स्वप्रेरणा से, इस अधिनियम के अधीन अथवा उसके अधीन बनाई गई नियमावली के अधीन पारित किसी आदेश का पुनरीक्षण कर सकेगा:

परंतु निर्धारिती के आवेदन पर कोई भी निर्धारण आदेश तब तक पुनरीक्षित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस आदेश के संबंध में उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश पूर्व में पारित न किया गया हो:

परंतु और कि जहाँ विहित प्राधिकारी स्वप्रेरणा से किसी आदेश का पुनरीक्षण करता है वहाँ ऐसे पुनरीक्षण के लिए कोई भी कार्यवाही किसी भी समय उक्त आदेश की तिथि से दो वर्षों की समाप्ति के पूर्व नहीं आरंभ नहीं की जाएगी।

(5) उन नियमों के अधीन रहते हुए जो विहित किए जाय, इस अधिनियम के अधीन या उसके अधीन बनाई गई नियमावली के अधीन पारित किसी आदेश का पुनरीक्षण, उसे पारित करने वाला प्राधिकारी अथवा कार्यालय का उसका उत्तराधिकारी कर सकेगा।

**12. अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील।**—(1) उन नियमों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार द्वारा बनाए जायें, धारा-8 के अधीन उल्लिखित प्राधिकारों में से कोई धारा-11 के अधीन उपायुक्त अथवा संयुक्त आयुक्त अथवा धारा-13 के अधीन आयुक्त द्वारा किये गये किसी आदेश से व्यथित कोई व्यापारी अथवा व्यक्ति न्यायाधिकरण के समक्ष अपील कर सकेगा।

(2) जहाँ कोई अपील किसी व्यापारी द्वारा किया गया हो वहाँ ऐसी अपील न्यायाधिकरण द्वारा तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसा व्यापारी अथवा अन्य कोई व्यक्ति, इस धारा के अधीन बीस प्रतिशत की राशि, न्यायाधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से जमा नहीं कर दे :

परंतु न्यायाधिकरण, लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, इस धारा के अधीन जमा किए जाने हेतु अपेक्षित राशि को अधित्यक्त या कम कर सकेगा।

**स्पष्टीकरण।**— इस धारा के प्रयोजनार्थ अभिव्यक्ति “विवादित” राशि से अभिप्रेत होगा निर्धारित कर, उस वर्ष के संबंध में जिससे विवाद संबंधित है व्यापारी द्वारा जमा की गई कर की राशि से कटौती करने के बाद अवशेष राशि।

(3) इस धारा के अधीन अपील के लिए प्रत्येक आवेदन, उस आदेश के, जिसके विरुद्ध अपील करनी हो, संसूचना की तिथि से नब्बे दिनों के भीतर दाखिल किया जाएगा किंतु जहाँ न्यायाधिकरण का समाधान हो जाय कि अपीलार्थी के पास समय के भीतर आवेदन नहीं करने के पर्याप्त कारण हैं तो वह विलंब को माफ कर सकेगा।

(4) इस धारा के अधीन कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलार्थी और उस प्राधिकारी को भी, जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई हो, अथवा उसके प्रतिनिधि को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दिया जाए,

(5) उपधारा (1) के अधीन किसी अपील की प्राप्ति पर, न्यायाधिकरण, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, उसपर ऐसा कोई आदेश, जो उपयुक्त समझे, उस आदेश को जिसके विरुद्ध अपील की गई हो, संपुष्ट, उपांतरित, खारिज करते हुए, पारित कर सकेगा।

(6) न्यायाधिकरण अपने द्वारा किए गए प्रत्येक आदेश की प्रति अपील के पक्षकारों को और उस प्राधिकारी को, जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई हो, भेजेगा।

(7) उपधारा (1) के अधीन न्यायाधिकरण के समक्ष दाखिल की गई अपील, यथासंभव शीघ्रता से, उसके द्वारा निपटाई जाएगी और उसके द्वारा, अपील प्राप्ति की तिथि से छह माह के भीतर उस अपील को अंतिम रूप से निपटाने की कोशिश की जाएगी।

**13. आयुक्त की पुनरीक्षणीय शक्ति।**—आयुक्त, स्वप्रेरणा से, इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी अथवा अपने अधीनस्थ व्यक्ति द्वारा अभिलिखित किसी कार्यवाही के अभिलेख को मंगा सकेगा और उसका परीक्षण कर सकेगा और यदि उसका विचार हो कि उसमें पारित कोई आदेश त्रुटिपूर्ण अथवा वह राजस्व के हित के प्रतिकूल है तो वह ऐसा आदेश, जिसे वह उपयुक्त समझे, व्यापारी अथवा संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के बाद, पारित कर सकेगा।

**14. पुनर्विलोकन।**—इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, धारा-8 के अधीन नियुक्त किसी प्राधिकारी अथवा न्यायाधिकरण, अपने द्वारा पारित किसी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगा, यदि ऐसा पुनर्विलोकन, यथास्थिति, उक्त प्राधिकारी अथवा न्यायाधिकरण की राय में, चूक, जो अभिलेख से प्रकट होती हो, के चलते आवश्यक हो;

परंतु कोई ऐसा पुनर्विलोकन यदि कर, ब्याज अथवा शास्ति अथवा किसी वापसी पर प्रभाव डालने वाला हो तो तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि, यथास्थिति, उक्त प्राधिकारी अथवा न्यायाधिकरण ने व्यापारी अथवा संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दिया हो।

**15. उच्च न्यायालय के समक्ष अपील।**— (1) न्यायाधिकरण द्वारा पारित प्रत्येक आदेश के विरुद्ध अपील, यदि उच्च न्यायालय का समाधान हो जाय कि मामले में विधि के सारवान् प्रश्न अंतर्ग्रस्त हैं, उच्च न्यायालय में संस्थित किया जायगा।

(2) न्यायाधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित आयुक्त अथवा कोई व्यापारी —

(i) बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (बिहार अधिनियम 36, 1948) के अधीन जो धारा-23 द्वारा इसके निरसन के पूर्व था इस अधिनियम के आरंभ की तिथि को अथवा बाद; अथवा

(ii) इस अधिनियम के अधीन,

उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दाखिल कर सकेगा और इस धारा के अधीन ऐसी अपील व्यापारी अथवा आयुक्त को संसूचना की तिथि से नब्बे दिनों के भीतर, इस आदेश से उत्पन्न किसी प्रश्न पर दाखिल की जाएगी।

(3) जहाँ उच्च न्यायालय का समाधान हो जाय कि किसी मामले में विधि का सारवान् प्रश्न अंतर्ग्रस्त है वहाँ वह प्रश्न का निर्माण करेगा।

(4) अपील की सुनवाई केवल इस प्रकार निर्मित प्रश्न पर की जाएगी और प्रत्यर्थी को, अपील की सुनवाई पर यह तर्क देने के लिए स्वीकार किया जाएगा कि मामले में वैसा प्रश्न अंतर्ग्रस्त नहीं है:

परंतु इस उपधारा की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि उच्च न्यायालय की अपील में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, उसके द्वारा विरचित न किये गये विधि के किसी सारवान् प्रश्न पर, यदि उसका यह

समाधान हो जाता है कि मामले में ऐसा प्रश्न अंतर्ग्रस्त है, सुनवाई करने की शक्ति को वापस ले लिया गया है अथवा न्यून कर दिया गया है।

(5)(क) उच्च न्यायालय वैसे निर्मित अथवा अंतर्ग्रस्त विधि के सारवान् प्रश्न को विनिश्चित करेगा और उस पर, इन आधारों को अंतर्विष्ट करते हुए जिस पर वैया निर्णय आधारित हो, निर्णय देगा और ऐसा खर्च अवार्ड कर सकेगा जिसे वह उपयुक्त समझे।

(ख) उच्च न्यायालय ऐसा कोई भी मुद्दा विनिश्चित कर सकेगा जो—

- (i) न्यायाधिकरण द्वारा विनिश्चित नहीं किया गया हो, या
- (ii) उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट विधि के ऐसे प्रश्न पर विनिश्चय के कारण न्यायाधिकरण द्वारा गलत अवधारित किया गया हो।

(6) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, उच्च न्यायालय में अपील से संबंधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के प्रावधान, जहाँ तक हो सके, इस धारा के अधीन अपीलों के मामलों लागू होंगे।

**16. उच्च न्यायालय के समक्ष मामले की सुनवाई न्यूनतम दो न्यायाधीशों द्वारा किया जाना।—** (1) जब धारा-15 के अधीन उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अपील दाखिल की गई हो तो उसकी सुनवाई उच्च न्यायालय के न्यूनतम दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जाएगी और ऐसे न्यायाधीशों की राय अथवा बहुमत, यदि कोई हो ऐसे न्यायाधीशों की राय के अनुसार अपील विनिश्चित की जाएगी।

(2) जहाँ बहुमत न हो, वहाँ न्यायाधीश उस विधि के प्रश्न का उल्लेख करेंगे, जिस पर उनका मतभेद हो और सिर्फ उस प्रश्न पर मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय के एक या एक से अधिक अन्य न्यायाधीशों द्वारा की जायेगी और ऐसे बिन्दु का विनिश्चय उन न्यायाधीशों के बहुमत द्वारा किया जायेगा, जिन्होंने मामले की सुनवाई की है और इसमें वे न्यायाधीश भी सम्मिलित होंगे जिन्होंने पहले सुनवाई की थी।

**17. विलंब से भुगतान के मामले ब्याज लागू होना।—** विद्युत शुल्क के बारे में कोई बकाया राशि, यदि राज्य सरकार को समय पर विहित रीति से संदत्त न की गई हो तो बकाया समझी जाएगी तथा उस राशि पर ब्याज, बकाया हो गई ऐसी राशि के समय के तत्काल बाद पहले तीन माह के लिए डेढ़ प्रतिशत और उसके बाद उस राशि के भुगतान तक प्रतिमाह दो प्रतिशत की दर से भुगतेय होगी और उस पर किसी ब्याज के साथ वह राशि वसूली के विशेष ढंग के माध्यम से अथवा भू-राजस्व के रूप में वसूलनीय होगी —

- (i) यदि राशि धारा-6 की उपधारा (1) के अधीन भुगतेय थी, तो उपभोक्ता से अथवा उपधारा (2) के परंतुक के अधीन रहते हुए अनुज्ञप्तिधारी या किसी व्यक्ति से जो, राज्य सरकार अथवा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के विकल्प पर, अनुज्ञप्तिधारी के लिए अथवा बाद में कोई धन धारित करता है अथवा धारित करे।
- (ii) यदि राशि धारा-6 की उपधारा (3) के अधीन भुगतेय थी, तो उपभोक्ता से अथवा ऊर्जा की आपूर्ति करने वाले और अपने स्वयं के उपयोग के लिए पूर्णतः अथवा अंशतः उपभोग करने वाले व्यक्ति से अथवा अन्य व्यक्ति को आपूर्ति करने वाला कोई व्यक्ति जिसपर अनुज्ञप्तिधारी की वजह से कोई धन देय है या हो सकता है, यथा स्थिति, राज्य सरकार अथवा इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के विकल्प पर,

(2) जहाँ उपभोक्ता अथवा, यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी अथवा अनुज्ञप्तिधारी से अन्यथा कोई व्यक्ति अथवा उत्पादक कंपनी जो धारा-6 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन आती है, विद्युत शुल्क, शास्ति एवं ब्याज के भुगतान का दायी है और यदि वह उस राशि का भुगतान जो उस प्रकार भुगतेय विद्युत शुल्क, शास्ति एवं ब्याज की कुल राशि से कम हो तो भुगतान की गयी वह राशि सबसे पहले ब्याज के मद में तत्पश्चात् यदि अवशेष, यदि कोई हो, शास्ति के मद में और इसके बाद अवशेष, यदि कोई हो, विद्युत शुल्क के मद में समायोजित की जाएगी।

(3) राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उपभोक्ता, जिसे अधिनियम के अधीन विद्युत शुल्क अथवा सरकार के विभिन्न स्कीम के अधीन छूट प्राप्त है, से संग्रहित विद्युत शुल्क के पूर्ण अथवा इसके भाग को वापस कर सकेगी।

**18. वसूली के विशेष ढंग।—** (1) इस अधिनियम अथवा किसी विधि या करार में अंतर्विष्ट विरुद्ध किसी बात के होते हुए भी, शुल्क के निर्धारण और वसूली के लिए विहित प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन लिखित रूप में सूचना द्वारा जिसकी एक प्रति अनुज्ञप्तिधारी अथवा शुल्क के भुगतान के दायी व्यक्ति को भी दी जाएगी, निम्नलिखित निदेश दे सकेगा—

- (क) कोई व्यक्ति जो शुल्क भुगतान के दायी अनुज्ञप्तिधारी अथवा व्यक्ति के लिए उस पर कोई धन धारित करता है अथवा तत्पश्चात् धारित करे, अथवा
- (ख) कोई व्यक्ति जो अनुज्ञप्तिधारी का कोई धन धारित करता हो या बाद में कर सकता हो अथवा शुल्क भुगतान का दायी व्यक्ति जो मांग सूचना में नियत तिथि तक भुगतान में असफल हो गया हो तो वैसे अनुज्ञप्तिधारी या व्यक्ति या जिसके संबंध में भुगतान की तिथि किसी प्राधिकारी द्वारा बढ़ायी नहीं गई हो तो उनपर तामील उक्त मांग सूचना के अनुसार शुल्क या शास्ति अथवा अधिभार की राशि को, उस रीति से जो शुल्क भुगतान के लिए विहित की गई हो, तुरंत अथवा धन हो जाने पर



उतना धन जो अनुज्ञप्तिधारी अथवा शुल्क भुगतान के दायी व्यक्ति से बकाया राशि के भुगतान के लिए पर्याप्त हो, सरकारी कोषागार में जमा करने।

(2) उपधारा (1) के अधीन सूचना निर्गत करने वाला प्राधिकारी किसी भी समय ऐसी सूचना को संशोधित अथवा वापस ले सकेगा अथवा सूचना के अनुसरण में भुगतान करने के लिए समय को विस्तारित कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन निर्गत किसी सूचना के अनुपालन में भुगतान करने वाला कोई व्यक्ति अनुज्ञप्तिधारी या संबंधित व्यक्ति के प्राधिकार के अधीन भुगतान करने वाला समझा जाएगा और सरकारी कोषागार की रसीद, उस रसीद में विनिर्दिष्ट राशि तक, अनुज्ञप्तिधारी अथवा संबंधित व्यक्ति के दायित्व का उस व्यक्ति के प्रति अच्छा एवं पर्याप्त निर्वहन होगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन अपने पर सूचना तामील के बाद दायित्व का निर्वहन नहीं करने वाला कोई भी व्यक्ति शुल्क अथवा शास्ति तथा अधिभार के लिए राज्य सरकार का व्यक्तिगत रूप से दायी होगा।

(5) यदि वह राशि जिसके लिए कोई व्यक्ति उपधारा (4) के अधीन राज्य सरकार का व्यक्तिगत रूप से दायी हो जाता है, असंदत्त रह जाती है तो वह उससे भू-राजस्व के रूप में वसूलनीय होगी।

(6) यदि कोई व्यक्ति इस धारा की उपधारा (4) के अधीन किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो विहित प्राधिकारी, सुनवाई का अवसर देने के बाद, लिखित रूप में आदेश देकर उसे निदेश देगा कि वह व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन भुगतेय राशि के दोगुने से अनधिक राशि शास्ति के रूप में भुगतान करेगा।

**19. अपराध और शास्तियाँ।—** (1) यदि कोई व्यक्ति—

- (क) धारा-7 के प्रावधानों तथा धारा-15 के अधीन इस निमित्त बनाई गई नियमावली के अनुसार लेखा बहियों को रखने अथवा रिटर्न सुपूर्द करने में असफल रहता है; या
- (ख) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन करता है; या
- (ग) इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में निरीक्षण प्राधिकार को जान बूझकर बाधा पहुँचाता है तो वह दोषसिद्ध होने पर, उस जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक बढ़ायी जा सकेगी, दंडित किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किए गए अपराध के संबंध में कोई भी शिकायत तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि वह निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा दाखिल नहीं की जाती है।

**20. कंपनियों द्वारा अपराध।—** (1) जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया हो वहाँ प्रत्येक व्यक्ति जो उस समय जब अपराध किया गया हो, कंपनी के प्रभार में और कंपनी के साथ-साथ कंपनी के कारबार के संचालन के लिए कंपनी के प्रति जिम्मेदार था, इस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार कार्यवाही चलाए जाने तथा सजा के लिए दायी होगा:

परंतु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन उपबंधित किसी सजा का दायी नहीं करेगी यदि वह यह साबित कर देता है कि वह अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया है अथवा उसने उस अपराध को होने से रोकने के लिए सभी सम्यक् तत्परता का प्रयोग किया था।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कंपनी द्वारा किया गया हो और यह साबित हो गया हो कि वह अपराध कंपनी के निदेशक, प्रबंधक, सचिव अथवा अन्य अधिकारी की सहमति या मिलीभगत से किया गया है अथवा कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अथवा अन्य कर्मचारी की ओर से कोई उपेक्षा की गयी हो तो ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव अथवा अन्य अधिकारी भी इस अपराध के दोषी माने जाएंगे तथा तदनुसार कार्यवाही चलाए जाने और सजा के दायी होंगे।

**स्पष्टीकरण।—** इस धारा के प्रयोजनार्थ —

- (क) "कंपनी" से अभिप्रेत है कोई निगम निकाय और इसमें फर्म, व्यष्टि संगम अथवा व्यष्टि निगम चाहे निगमित हो या नहीं; और
- (ख) फर्म के संबंध में 'निदेशक' से अभिप्रेत है फर्म में कोई साझेदार और व्यष्टि संगम अथवा व्यष्टि निगम के संबंध में अभिप्रेत है उसके क्रियाकलापों को नियंत्रित करने वाला कोई सदस्य।

**21. सदभाव में की गई कारवाई का संरक्षण।—** किसी बात के लिए जो इस अधिनियम के अधीन सदभाव में की गई हो या किए जाने का आशयित हो, इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित नहीं होगी।

**22. नियम बनाने की शक्ति।—** (1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टता और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित के संबंध में नियम बना सकेगी:—

(क) विद्युत शुल्क के भुगतान का समय और रीति विहित करने—

- (i) विद्युत शुल्क के भुगतान की देय तिथि;
- (ii) किस्तों में विद्युत शुल्क का भुगतान;
- (iii) परिस्थितियाँ जिसमें और शर्तें जिनके अधीन रहते हुए तथा अवधि जिसके लिए धारा-6 के अधीन विद्युत शुल्क के भुगतान का आस्थगन स्वीकृत किया जा सके;

- (ख) अधिनियम के अधीन कोई रियायत या छूट सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया विहित करने;
- (ग) प्रारूप जिसमें लेखा बहियां रखी जाएगी तथा वह समय जब, प्रारूप जिसमें तथा अधिकारी जिनको धारा-7 के अधीन रिटर्न सुपूर्द करने की अपेक्षा की जाएगी, विहित करने;
- (घ) धारा-8 की उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण प्राधिकारी के कार्यों को विहित करने;
- (ङ) नियमों को, यदि कोई हो, विहित करना जिसके अधीन रहते हुए निरीक्षण प्राधिकारी धारा-9 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा;
- (च) मीटर के अधिष्ठापन और चेकिंग, रीडिंग तथा जाँच के लिए प्रक्रिया विहित करने;
- (छ) प्राधिकारी को प्रश्न निर्देशित करने की और उस प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध राज्य सरकार के समक्ष अपील या पुनरीक्षण दायर करने के लिए प्रक्रिया विहित करने;
- (ज) इस अधिनियम के अधीन उपभोक्ता द्वारा भुगतये राशि से अधिक दी गई विद्युत शुल्क के राशि की वापसी का दावा करने की प्रक्रिया, अवधि की सीमा विहित करने;
- (झ) इस अधिनियम के अधीन किसी दस्तावेज की प्रतियों की आपूर्ति करने के लिए फीस विहित करने;
- (ञ) इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने हेतु उपबंध करने।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम तथा इस अधिनियम के अधीन निर्गत प्रत्येक अधिसूचना बनाए अथवा निर्गत करने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह कुल चौदह दिनों की अवधि के लिए जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक अनुवर्ती सत्रों को मिलाकर हो सकेगी, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के जिसमें वह रखा गया हो अथवा उसके ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन किसी नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाएँ अथवा दोनों सदन सहमत हों कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए और राजपत्र में उस प्रभाव का अपना विनिश्चय अधिसूचित करें तो उस नियम का प्रभाव इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से यथास्थिति केवल उस उपांतरित प्रारूप में हो अथवा उसका प्रभाव नहीं होगा; फिर भी वैसा कोई उपांतरण या बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में किए गए या विलोपित किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

**23. निरसन और व्यावृत्ति।—** बिहार विद्युत अधिनियम, 1948 एतद् द्वारा निरसित किया जाता है:

परंतु निरसन का निम्नलिखित पर कोई प्रभाव नहीं होगा:—

- (क) निरसित विधि के अधीन बनाए गए या निर्गत किसी नियम अधिसूचना, आदेश या सूचना सहित किए गए किए जाने के आशय से किया कुछ भी अथवा की गई या किए जाने के आशय से की गई किसी कार्रवाई; अथवा
- (ख) निरसित विधि के अधीन की नियुक्ति, संपुष्टि या घोषणा अथवा दिया गया प्राधिकरण या छूट अथवा निष्पादित किसी दस्तावेज या लिखत; या
- (ग) निरसित विधि के अधीन अर्जित उद्भूत या उपगत किसी प्राधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व; या
- (घ) पूर्वोक्त किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति के संबंध में कोई अभियोजन, विधिक कार्यवाही अथवा निदान तथा यथा संस्थित जारी या प्रवृत्त कोई अभियोजन, विधिक कार्यवाही या निदान तथा यथा अधिरोपित शास्ति मानो यह अधिनियम अधिनियमित नहीं किया गया हो:

परंतु और कि पूर्ववर्ती परंतुक के अधीन रहते हुए विहित शुल्क की दरें या ब्याज, बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के अधीन निर्मित नियम या प्रारूप और निरसित प्रावधानों के अधीन की गई निरीक्षण प्राधिकारी की नियुक्ति इस अधिनियम के तत्स्थानी प्रावधानों के अधीन विहित, निर्मित अथवा किया गया समझा जाएगा और तदुनसार तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक इस अधिनियम में किए गए कुछ अथवा की गई किसी कार्रवाई द्वारा अधिक्रांत न किया गया हो।

**24. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति।—** (1) इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, यथा अवसर उत्पन्न हो, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, कुछ भी कर सकेगी जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो और जो कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक एवं समीचीन प्रतीत हो:

परंतु कोई भी ऐसा आदेश इस अधिनियम के आरंभ की तिथि से दो वर्षों की अवधि की समाप्ति के बाद नहीं किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश बनाए जाने के बाद यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

अनुसूची  
भाग-क  
(धारा-3 और 6 देखें)

क्र०	विद्युत विपत्र की टैरिफ कोटि	उपभोक्ताओं की विभिन्न कोटि को आपूर्ति की गई विद्युत की उपयोगिता का प्रयोजन।	दर
1.	भाग-क आवासीय	बिहार विद्युत विनियामक आयोग की टैरिफ अनुसूची के अनुसार – (i) आवासीय- व्यक्तिगत गरीबी रेखा से नीचे; (ii) आवासीय- व्यक्तिगत गैर गरीबी रेखा से नीचे; (iii) आवासीय- कम्प्लेक्स में सामान्य सुविधाएँ जैसे रोशनी, जल, लिफ्ट, मनोरंजन या सामुदायिक भवन, क्लब, जिमनैजियम, स्वीमिंग पूल इत्यादि; (iv) आवासीय- छात्रावास, कामगार महिलाएँ अथवा पुरुष छात्रावास; (v) आवासीय- निराश्रय, शारीरिक अथवा मानसिक रूप से निःशक्त, वृद्धावस्था के लिए छात्रावास या गृह, अनाथालय, राहत शिविर, पागलखाना, धर्मशाला; (vi) पूजा के धार्मिक स्थल; (vii) शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों द्वारा चलाए जाने वाले टेलिफोन बूथ; (viii) आवासीय के अधीन कोटिकृत किंतु सामाजिक कारण के लिए; (ix) उपर्युक्त से अनाच्छादित कोई अन्य परिसर	उपभोग चार्ज की बीस प्रतिशत से अनधिक दर या ऐसी दर जो राज्य सरकार भावी अथवा भूतलक्षी रूप से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।
2.	भाग-ख वाणिज्यिक	बिहार विद्युत विनियामक आयोग की टैरिफ अनुसूची के अनुसार- (i) कारबार अथवा वाणिज्यिक स्थापना- कॉरपोरेट या प्रशासनिक कार्यालय या दुकान या शॉपिंग मॉल या शो-रूम, बैंक, ए०टी०एम० इत्यादि; (ii) कारबार या वाणिज्यिक स्थापनाओं में सामान्य सुविधाएँ जैसे-रोशनी, लिफ्ट सुरक्षा अग्निशमन वाटर पम्पिंग; (iii) सामुदायिक केन्द्र- विवाह, सामुदायिक, सेमिनार, प्रदर्शनी, मीटिंग अथवा टाउन हॉल; (iv) लोक मनोरंजन- सिनेमा, थियेटर, स्टूडियो, मल्टीप्लेक्स, लीजर अथवा मनोरंजन स्थल; (v) आतिथ्य- होटल, गेस्ट हाउस, पर्यटन केन्द्र, रेस्तरां, आइसक्रीम पार्लर, कॉफी शॉप, फास्ट फूड सेन्टर या स्टॉल इत्यादि; (vi) संचार-टेलिफोन एक्सचेंज, मोबाईल टावर, सैटेलाइट एंटीना, पब्लिक कॉल सेंटर या बूथ टी०भी० या रेडियो स्टेशन इंटरनेट या साइबर कैफे इत्यादि; (vii) सर्विस ओरियेंटेड- ब्यूटी पार्लर, सैलून सर्विस या मरम्मत केन्द्र, लॉऊन्ड्री, गैरेज, टेलरिंग, कॉल सेन्टर इत्यादि; (viii) संस्थान- शैक्षणिक, प्रशिक्षण; (ix) स्वास्थ्य क्रियाकलाप- स्पोर्ट्स क्लब, हेल्थ क्लब, जिमनैजियम, स्विमिंग पूल इत्यादि (x) निर्माण- नयी अथवा नवीकरण इमारतें, संरचना, बुनियादी ढाँचा, सड़क, हवाई अड्डा सुरंग, उपयोगिताएँ इत्यादि (xi) स्मारक या पुरातत्व या ऐतिहासिक इमारतों, संरचना, स्थल इत्यादि का बाह्य प्रदीपन; (xii) विज्ञान और शोध- शोध एवं विकास केन्द्र, प्रयोगशाला, अक्वाकल्चर, मछली पालन, रेशम उत्पादन, पशुपालन, इनसेमिनेशन; (xiii) अक्वाकल्चर, रेशम उत्पादन, मछली पालन; (xiv) हॉस्पिटल, क्लिनिक, डिसपेन्सरिज, पैथोलोजिकल लेबोरेट्रीज या डायग्नोस्टिक सेन्टर अथवा रेडियोलोजी इमेजिंग सेन्टर इत्यादि;	उपभोग चार्ज की तीस प्रतिशत से अनधिक दर या ऐसी दर जो राज्य सरकार भावी अथवा भूतलक्षी रूप से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

क्र०	विद्युत विपत्र की टैरिफ कोटि	उपभोक्ताओं की विभिन्न कोटि को आपूर्ति की गई विद्युत की उपयोगिता का प्रयोजन।	दर
		<p>(xv) सूचना प्रावैधिकी (आई0टी0)– साफ्टवेयर डेवलपमेंट, डाटा प्रोसेसिंग इत्यादि जो उद्योग श्रेणी के अधीन मान्यता प्राप्त नहीं है एवं सरकार द्वारा ऐसी हैसियत प्रदान नहीं की गयी है ;</p> <p>(xvi) उपभोक्ता द्वारा उपयोगिता सुविधा के रूप में विद्युत के साथ किराये पर या पट्टे पर दिया गया परिसर;</p> <p>(xvii) वाणिज्यिक के अधीन कोटिकृत किंतु सामाजिक प्रयोजन के लिए नहीं ;</p> <p>(xviii) उपर्युक्त से अनाच्छादित कोई अन्य स्थापना।</p>	
3.	भाग-ग कृषिजन्य	बिहार विद्युत विनियामक आयोग की टैरिफ अनुसूची के अनुसार- <p>(i) पम्पिंग;</p> <p>(ii) मुर्गीपालन;</p> <p>(iii) हाईटेक ग्रीन हाउस, टिशू कल्चर, मसरूम इत्यादि;</p> <p>(iv) फ्लोरिकल्चर, हार्टिकल्चर, नर्सरी, प्लान्टेशन,</p> <p>(v) केन क्रशर, फोडर कटर इत्यादि कृषि प्रोसेस तथा स्वयं के उपयोग के लिए किंतु ऑयल मिल, फ्लोर मिल के लिए नहीं इत्यादि;</p> <p>(vi) कोल्ड स्टोरेज, प्री-कूलिंग;</p> <p>(vii) कृषि के अधीन कोटिकृत किंतु सामाजिक प्रयोजन के लिए नहीं;</p> <p>(viii) उपर्युक्त से अनाच्छादित कोई अन्य कृषि क्रियाकलाप</p>	उपभोग चार्ज की बीस प्रतिशत से अनधिक दर या ऐसी दर जो राज्य सरकार भावी अथवा भूतलक्षी रूप से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।
4.	भाग-घ अस्थायी	बिहार विद्युत विनियामक आयोग की टैरिफ अनुसूची के अनुसार- <p>(i) अस्थायी विद्युत आपूर्ति के साथ धार्मिक विद्युतीय अधिष्ठापन;</p> <p>(ii) अस्थायी कोटिकृत के अधीन किंतु सामाजिक प्रयोजन के लिए नहीं;</p> <p>(iii) अस्थायी विद्युत आपूर्ति के साथ, धार्मिक से अन्यथा, कोई विद्युतीय अधिष्ठापन।</p>	उपभोग चार्ज की तीस प्रतिशत से अनधिक दर या ऐसी दर जो राज्य सरकार भावी अथवा भूतलक्षी रूप से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।
5.	भाग-ड. विज्ञापन तथा होर्डिंग	बिहार विद्युत विनियामक आयोग की टैरिफ अनुसूची के अनुसार- विज्ञापन या साईन बोर्ड, होर्डिंग विज्ञापित करना इत्यादि।	उपभोग चार्ज की तीस प्रतिशत से अनधिक दर या ऐसी दर जो राज्य सरकार भावी अथवा भूतलक्षी रूप से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।
6.	भाग-च औद्योगिक	बिहार विद्युत विनियामक आयोग की टैरिफ अनुसूची के अनुसार- <p>(i) आटामिल, दालमिल, राइस मिल, पोहा मिल, साँ मिल, पावरलूम, अन्य संबद्ध क्रियाकलाप जैसे- वार्पिंग, डब्लिंग, टि्वस्टिंग, इत्यादि;</p> <p>(ii) आईस फैक्ट्री, आईसक्रीम विनिर्माण इकाई, मिल्क प्रोसेसिंग अथवा चिलिंग प्लान्ट्स (डेयरी);</p> <p>(iii) इन्जीनियरिंग वर्कशॉप, इन्जीनियरिंग गुडस मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स, प्रिंटिंग प्रेस, ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप ;</p> <p>(iv) माइनिंग, क्वेरी तथा स्टोन क्रशिंग यूनिट्स</p> <p>(v) गारमेन्ट्स मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स;</p> <p>(vi) एल०पी०जी० या सी०एन०जी बॉटलिंग प्लान्ट्स आदि;</p> <p>(vii) केवल औद्योगिक क्षेत्र के भीतर अवस्थित एसोसियेशन द्वारा स्वपोषित, संचालित, प्रबंधित सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट या कॉमन इफ्लूएन्ट ट्रीटमेंट प्लान्ट</p> <p>(viii) सूचना प्रावैधिकी (आई0टी0) उद्योग कोटि के अधीन मान्यताप्राप्त और राज्य सरकार द्वारा दी गई ऐसी</p>	बिहार विद्युत विनियामक आयोग की टैरिफ अनुसूची के अनुसार उपभोग चार्ज की पन्द्रह प्रतिशत से अनधिक दर या ऐसी दर जो राज्य सरकार भावी अथवा भूतलक्षी रूप से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

क्र०	विद्युत विपत्र की टैरिफ कोटि	उपभोक्ताओं की विभिन्न कोटि को आपूर्ति की गई विद्युत की उपयोगिता का प्रयोजन।	दर
		हैसियत रखने वाले आईटी० पार्क साफ्टवेयर डेवलपमेंट, डाटा प्रोसेसिंग इत्यादि; (ix) उद्योग के अधीन कोटिकृत किंतु सामाजिक प्रयोजन के लिए नहीं; (x) औद्योगिक नीति के अधीन बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा यथा वर्गीकृत कोटि या कोटियाँ; (xi) उपर्युक्त से अनाच्छादित कोई अन्य उद्योग।	
7.	भाग-ज मोनो एवं मेट्रो रेल	बिहार विद्युत विनियामक आयोग की टैरिफ अनुसूची के अनुसार।	उपभोग चार्ज की बीस प्रतिशत से अनधिक दर या ऐसी दर जो राज्य सरकार भावी अथवा भूतलक्षी रूप से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

**भाग-ख**  
(धारा-3 और 6 देखें)

निम्नलिखित से उत्पादित शक्ति का उपयोग	प्रयोजन	दर
(i) कैप्टिव पावर, (ii) सह उत्पादन से पावर, (iii) स्टैंडबाई उत्पादन, (iv) नवीकरणीय ऊर्जा से पावर, (v) स्वतंत्र पावर उत्पादक (आई०पी०सी०)	(i) स्व उपयोग (ii) अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को आपूर्ति	एक रूपये पचास पैसे प्रति यूनिट से अनधिक दर या ऐसी दर जो राज्य सरकार भावी अथवा भूतलक्षी रूप से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। अनुसूची-‘क’ के अनुसार वितरण कंपनी अथवा अनुज्ञप्तिधारी की प्रचलित दर जिसे राज्य सरकार भावी या भूतलक्षी रूप से, अधिसूचना द्वारा, राजपत्र में विनिर्दिष्ट करे।

**भाग-ग**  
(धारा-3 और 6 देखें)

क्र०	उत्पादन कोटि	उपयोगिता प्रयोजन	दर
1.	खुली-पहुँच	(i) स्व उपयोग	अनुसूची-‘क’ के अनुसार वितरण कंपनी अथवा अनुज्ञप्तिधारी की प्रचालित दरें जिन्हें राज्य सरकार, भावी अथवा भूतलक्षी रूप से, अधिसूचना द्वारा राजपत्र में विनिर्दिष्ट करें।
2.	अन्य	(ii) अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को आपूर्ति	

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
मनोज कुमार,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

4 मई 2018

सं० एल०जी०-०१-०२/२०१८/२९/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 20 अप्रैल 2018 को अनुमत बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
मनोज कुमार,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

[ Bihar Act 4, 2018 ]  
**BIHAR ELECTRICITY DUTY ACT, 2018**  
 AN  
 ACT

to provide for levying a duty on consumption of electrical energy in the State of Bihar and for matters connected therewith or incidental thereto.

**PREAMBLE:-** WHEREAS due to the enactment of the Electricity Act, 2003 by the Central Government, radical changes have been ushered in the management of generation, transmission and supply of electricity, and new concepts like power trading, exchange of power, open access, de-licensing of electricity generation, etc. have been introduced which are not the part of the Bihar Electricity Duty Act; 1948.

AND WHEREAS after considering the changes made by the said Electricity Act, the Government of Bihar considers it expedient to make a comprehensive law to provide for the levy of a duty on consumption of electrical energy in the State of Bihar covering all categories of electricity consumers as per the said Electricity Act, by repealing the existing Bihar Electricity Duty Act; Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Sixty Ninth Year of the Republic of India as follows:—

**1. Short title, extent and commencement.**— (1) This Act may be called the Bihar Electricity Duty Act, 2018.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the official gazette.

**2. Definitions.**—(1) *In this Act, unless the context requires otherwise,—*

- (a) “Captive generation” means an energy generated from a ‘Captive Generating Plant’ defined in clause (8) of section-2 of the Electricity Act, 2003 and the rules made thereunder by the Central Government in this behalf ;
- (b) “Co-generation” means an energy generated in a process, which simultaneously produces two or more forms of useful energy including electricity ;
- (c) “Commission” means the Bihar Electricity Regulatory Commission constituted by the State Government under section-82 of the Electricity Act ;
- (d) “consumer” means any person who is supplied with electricity for his own use by a licensee or the Government or by any other person engaged in the business of supplying electricity to the public under the Electricity Act, or under any other law for the time being in force and includes any person whose premises are for the time being connected for the purpose of receiving electricity with the works of a licensee, the Government or such other person, as the case may be, but does not include a person who is supplied with electricity under an agreement between a generating company and a licensee or between licensees;
- (e) “consumption charges ” means the charges levied by the licensee under this Act for the energy consumed by a consumer and the amount charged by a licensee to any other person who supplies such energy to a consumer which shall include the fixed charges such as demand charges, variable charges such as energy charges, fuel adjustment charges and reliability charges, as per the tariff approved by the Commission, but does not include the penal charges or incentives, for delayed or prompt payment, power factor, harmonics, load factor, interest charged thereof and compounding charges on assessment, as the case may be ;
- (f) “Electrical Inspector” means a person appointed by the State Government under sub-section (1) of section-8 of this Act and sub-section (1) of section-162 of the Electricity Act ;
- (g) “Electricity Act” means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);
- (h) “Energy” means electrical energy generated, transmitted, distributed, consumed, traded or wheeled for any purpose;
- (i) “Generating company” means any company or body corporate or association or a body of individuals, whether incorporated or not, or artificial juridical person, which owns or operates or maintains a generating station;

- (j) “Government” or “State Government” means the Government of Bihar;
- (k) “Independent Power Producer (IPP)” means a producer of electrical energy which is not a public utility but which makes electrical energy available for sale to utilities or end users;
- (l) “Industry” means an industrial undertaking declared as such under any other law for the time being in force in the State of Bihar and includes the industries covered by the various industrial policies declared by the State Government, from time to time;
- (m) “Inspecting Authority” means an officer appointed by the State Government under sub-section (1) of section- 8 of this Act;
- (n) “licensee” means a person who has been granted license under section-14 of the Electricity Act, for transmission, distribution, supply, trading in electricity and includes those who hold status of a deemed licensee and also those exempted under section-13 of the Electricity Act ;
- (o) “Open access” means the non-discriminatory provision for the use of transmission lines or distribution system or associated facilities with such lines or system by any licensee or consumer or a person engaged in generation in accordance with the regulations made by the Commission;
- (p) “Prescribed” means prescribed by rules made under this Act;
- (q) “Renewable Energy” means the grid quality electricity generated from Renewable Energy Sources, which are a part of earth’s natural environment and can replenish with the passage of time, either through biological reproduction or other naturally recurring processes, such as sunlight, wind, rain, tides, waves, geothermal heat, biomass, biofuels but does not include fossil fuel;
- (r) “Renewable Energy Sources” means the renewable sources such as Mini, Micro and Small Hydro, Wind, Solar, Biomass including Bagasse or Agricultural Waste, Bio-fuel, urban or Municipal Solid Waste, Industrial Waste and such other sources recognized or approved by the Ministry of New and Renewable Energy of the Government of India;
- (s) “Schedule” means the Schedule appended to this Act;
- (t) “Standby generation” means generation of electricity done in absence of existing licensee’s electric supply due to failure or interruption or load shedding or outage taken by electricity supplier on account of maintenance, repairs, but not due to the disconnection of supply in default of payment as per the provisions of section-56 of the Electricity Act ;
- (u) “Unit” means unit of measurement of energy consumed in Kilowatt per hour (kWh).

(2) Words and expressions used in this Act but not defined herein shall have the same meanings as assigned to them under the Electricity Act, 2003.

**3. Duty on units of energy consumed.**—(1) Subject to the provisions of sub-section (2), there shall be levied and paid to the State Government a duty (hereinafter referred to as “Electricity Duty”) at the rates specified in the Schedule appended to this Act:

- (a) on the consumption charges, where energy is supplied by the licensee; or
- (b) the units of energy consumed by a person, where such energy is produced through -
- (i) Captive generation;
  - (ii) Co-generation;
  - (iii) Standby generation;
  - (iv) Renewable Energy; or
  - (v) Independent Power Producer (IPP) ; or
- (c) Units of energy consumed which are not covered under Clauses (a), and (b), that is, open access or other sources.

- (2) Electricity duty shall not be levied on the consumption charges or energy consumed,—
- (i) by the Government of India, or sold to the Government of India, for consumption by that Government;
  - (ii) in the construction, maintenance, or operation of any railway company operating that railway, or sold to that Government or any such railway company for consumption in the construction, maintenance or operation of any railway;
  - (iii) for any purpose which the State Government may, by notification, in this behalf declare to be a public purpose and such exemptions may be subject to such conditions and exemptions if any, as may be mentioned in the said notification.
  - (iv) by any licensee, or by any other person engaged in the business of supplying electricity to the public under the Electricity Act, for the purposes directly connected with construction, maintenance, operation of any transmitting and distributing system, including the losses incurred therein ;
  - (v) by any generating company for the purposes directly connected with construction, maintenance and operation of generating plant ;
  - (vi) Where the energy is generated by any person for the purpose of supplying it for the use of vehicles or vessels excluding Metro and Monorail;
  - (vii) Where the electricity is generated at a voltage not exceeding 100 volts.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), in respect of the premises used for residential purposes there shall be levied and paid to the State Government an electricity duty on the consumption charges as per the Schedule appended to this Act.

**4. Power to exempt electricity duty.**—Subject to such conditions as it may impose, the State Government may, if considers it necessary in the public interest so to do, by notification in the *Official Gazette*, exempt, prospectively or retrospectively, the electricity duty on the consumption of energy, in the whole or any part of the State, in respect of any class of premises or purposes, in such areas and for such period as may be specified therein, or in respect of energy consumed up to a specified limit, from the payment of the whole or any part of the electricity duty payable as per the Schedules, having regard to—

- (i) The availability and price of energy prevailing therein and to the state of industrial or agricultural development, educational, medical aid, facilities, social conditions; and
- (ii) The various policies and need, and conditions of overall development in the areas declared by general or special order, specified in this behalf:

Provided that, nothing contained in this Act shall affect any order issued in this regard before the commencement of this Act, and such order shall continue to be in force till the period mentioned therein expires, and where such period is not mentioned, any further order is issued in that respect under the provisions of this Act.

**5. Power to modify rates of electricity duty.**—The State Government may, by notification in the *Official Gazette*, subject to such terms and conditions as may be specified therein, modify the rates of electricity duty in respect of such class of consumers, such type of generation, in such areas and for such period as specified.

**6. Payment and recovery of electricity duty.**— (1) Every licensee shall collect and pay to the State Government at the time and in the manner prescribed, the proper electricity duty payable under this Act, based on—

- (i) The consumption charges in respect of energy supplied by him to consumers classified under clause (a) of sub-section (1) of section-3, as per Part-A of the Schedule appended to this Act;
- (ii) the units of energy consumed in respect of energy supplied by wheeling to the consumers availing open access facility classified under clause (c) of sub-section (1) of section-3, as per Part-C of the Schedule appended to this Act and



also as per prevailing rates of consumption charges of distribution company or licensee which are mentioned in Part-A of the Schedule appended to this Act.

(2) The duty so payable shall be a first charge on the amount recoverable by the licensee for the energy supplied or wheeled by him, and shall be a debt due by him to the State Government.

(3) Every person, who falls under clause (b) of sub-section (1) of section-3, who consumes the energy fully or partly for his own use or supplies to any other person or persons, shall pay to the State Government, at the time and in the manner prescribed, the proper electricity duty payable under this Act in respect of the energy consumed by him or by the consumers to whom he has supplied energy, as per Part-B of the Schedule appended to this Act. He may recover the portion of the electricity duty on the energy consumed by the other person or persons to whom he has supplied energy.

(4) Every person, not being a licensee or generating company, who falls under clause (c) of sub-section (1) of section-3, consumes energy and utilises fully or partly for his own use or supplies to any other person or persons, shall pay to the State Government, through the licensee, at the time and in the manner prescribed, the proper electricity duty payable under this Act in respect of energy consumed by him or by the consumers to whom he has supplied energy, as per Part-C of the Schedule appended to this Act. He may recover the portion of the electricity duty on the energy consumed by the other person or persons to whom he has supplied the energy :

(5) Nothing contained in sub-sections (3) and (4) shall apply if the energy is supplied to the licensee.

(6) Where any person fails or neglects to pay, at the time and in the manner prescribed, the amount of electricity duty due from him, the licensee, or as the case may be, the person supplying energy, may, without prejudice to the right of the State Government to recover the amount under section-12, deduct such amount of electricity duty from the amount, if any, on account of deposit or refund due, with the licensee or the person supplying energy, after giving not less than seven clear days' notice in writing to such consumer or person to whom energy is supplied, cut off the supply of energy to such consumer or person, if the dues are not recoverable from the deposit or refund available with him; and he may, for that purpose, exercise the powers conferred on a licensee by sub-section (1) of section-56 of the Electricity Act, for the recovery of any charge or sum due in respect of consumption charges on the energy consumed.

(7) The licensee shall be entitled to a rebate of such amount as may be determined by the State Government, from time to time, regard being had to the cost of collection of the duty incurred by such licensee.

(8) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections, where the State Government is satisfied that there is a *bona fide* mistake, on the part of any licensee or a person supplying energy to the consumers or consuming energy for his own use, in paying the proper electricity duty, on account of wrong meter reading or misclassification of consumption falling under any particular Part or clause in the Schedule, the State Government may, at any time, by an order, waive or write-off, with retrospective effect, the recovery of the amount of the electricity duty or any part thereof due at the proper rate and the amount of interest thereof, if any, payable for delayed payment under section-11.

**7. Licensee, etc to keep book of accounts and submit returns.**— Every licensee, and every person consuming energy, who falls under sub-section (1) of section-3 shall, save in respect of the energy exempted from the electricity duty under sub-section (2) of section-3, keep books of accounts in the prescribed form and submit to the State Government or to the officer appointed by the State Government in this behalf the returns in such form and at such times as may be prescribed, showing the units of electricity consumed by him, or as the case may be, supplied by him to each consumer, and the amount of the duty payable thereon and recovered or paid by him under section-6.

**8. Officers under this Act.**— (1) Officers appointed under the Bihar Value Added Tax Act, 2005 and the Bihar Goods and Service Tax Act, 2017 shall be deemed to be appointed for the purposes of this Act.

(2) Every officers appointed under this Act shall be deemed to be a public servant within the meaning of section- 21 of the Indian Penal Code.

**9. Powers of Inspecting Authority.**— (1) Subject to the provisions of any rules made by the State Government in this behalf, an Inspecting authority may—

- (i) require production for inspection of such books and records as may be necessary for ascertaining or verifying the amount of electricity duty leviable under this Act;
- (ii) enter and search any premises where energy is, or is believed to be supplied for the purpose of—
  - (a) verifying the statements made in the books of accounts kept, and returns submitted under section-7;
  - (b) checking, reading and testing of meters;
  - (c) verifying the particulars required in connection with the levy of electricity duty;
- (iii) exercise such other powers and perform such other duties as may be necessary for carrying out the purposes of this Act and the rules made thereunder.

(2) All searches made under sub-section (1) shall be made in accordance with the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973.

**10. Assessment of duty.**—

- (1) If the prescribed authority is satisfied without requiring the presence of the assessee for production by him of any evidence that the return furnished in respect of any period is correct and complete, he shall assess the amount of the duty due from the assessee on the basis of such return.
- (2) (a) If the prescribed authority is not satisfied without requiring the presence of the assessee for production of evidence that the return furnished in respect of any period is correct and complete or where any question arises as to the Part or clause in the Schedules under which category consumption of energy falls, or where the energy is consumed for different utilization purposes, what portion of consumption shall be governed by such Part or clause, he shall serve on such assessee a notice in the prescribed manner requiring him, on a date, time and at a place to be specified therein, either to attend in person or to produce or cause to be produced any evidence on which the assessee may rely in support of such a return.
  - (b) On the date specified in the notice or as soon afterwards, as may be, the prescribed authority, after hearing such evidence as the assessee may produce and such other evidence as the prescribed authority may require on specific point, shall assess the amount of duty due from the assessee.
- (3) If an assessee having furnished return in respect of a period fails to comply with all the terms of the notice under sub-section (2) or if the accounts and other evidence produced by him are, in the opinion of the prescribed authority, incorrect, incomplete or unreliable, either wholly or partly, the said authority shall assess, to the best of its judgment, the amount of duty, if any, due from the assessee.
- (4) If the assessee fails to file returns in respect of any period, the prescribed authority shall, after giving the assessee reasonable opportunity of being heard, assess, to the best of his judgment the amount of duty, if any, due from the assessee.
- (5) If upon information or otherwise, the prescribed authority is satisfied that reasonable grounds exist to believe that any assessee or any person other than a assessee has been liable to pay duty in respect of any period, and has nevertheless willfully failed to apply for registration, the prescribed authority shall, after giving the assessee reasonable opportunity of being heard, assess to the best of its judgment the amount of duty, if any, due from an assessee or any other person in respect of such period and all subsequent period and the prescribed authority shall direct that the assessee or any other person, to pay by way of penalty in addition to duty so assessed, a sum of fifty rupees for every day of the period during which the licensee or any other person failed to apply

for registration or an amount equal to the amount of duty assessed, whichever is less;

Provided that no proceeding for such assessment shall be initiated except before expiry of four years from expiry of the period to which it relates;

Provided further that a proceeding initiated under this sub-section shall be concluded within a period of two years from the date of initiation.

**11. Appeals to appellate Authority.**— (1) Any licensee or other person objecting to an order of assessment with or without penalty passed under this Act, or the rules made thereunder may, within the prescribed period and in the prescribed manner, prefer appeal to the prescribed authority against such order of assessment or penalty or both :

Provided that no appeal shall be entertained by such authority unless it is satisfied that twenty per centum of the duty assessed or such amount of duty as the appellant may admit to be due from him, whichever is greater has been paid.

(2) Every appeal under this section shall be filed, in such form and the manner, as may be prescribed, within forty-five days of the receipt of the notice of demand but where the appellate authority is satisfied that the appellant had sufficient reason for not preferring the appeal within time, it may condone the delay.

(3) Subject to such rules as may be prescribed, the appellate authority may, in disposing of an appeal under sub-section (1)-

- (a) confirm, reduce, enhance or annul the assessment or penalty, or both; or
- (b) set aside the assessment or penalty, or both, and direct the assessing authority to make a fresh assessment after making such further inquiry as may be directed by the appellate authority.

(4) Subject to such rules as may be prescribed and for reasons to be recorded in writing the prescribed authority may, upon application or of its own motion, revise any order passed under this Act or the rules made thereunder:

Provided that no order of assessment shall be revised upon application of the assessee, unless an order under sub-section (2) has been previously passed in respect of such order:

Provided further that where the prescribed authority revises any order on its own motion, no proceeding for such revision shall be initiated at any time before the expiry of two years from the date of the said order.

(5) Subject to such rules as may be prescribed, any order passed under this Act or the rules made thereunder may be reviewed by the authority passing it or by its successor-in-office.

**12. Appeal to appellate Tribunal.**— (1) Subject to such rules as may be made by the State Government, any of the authorities mentioned in section-8 or dealer or any other person aggrieved by an order made by the Deputy Commissioner or Joint Commissioner under section-11 or the Commissioner under section-13, may, prefer an appeal to the Tribunal.

(2) Where an appeal is preferred by a dealer, such appeal shall not be entertained by the Tribunal unless such dealer or any other person has deposited in manner specified by the Tribunal, twenty percent of the amount in dispute:

Provided that the Tribunal may, for reasons to be recorded in writing, waive or reduce the amount required to be deposited under this section.

**Explanation.**— For the purpose of this sub-section, the expression 'amount in dispute' shall mean the sum remaining after deducting from the tax assessed, the amount of tax deposited by the dealer in respect of the year to which the dispute relates.

(3) Every application for appeal under this section shall be filed within ninety days of the communication of the order which is sought to be appealed, but where the Tribunal is satisfied that the applicant had sufficient cause for not applying within time, it may condone the delay.

(4) No order this section shall be passed without giving the applicant as also the authority whose order is sought to be appealed or their representative a reasonable opportunity of being heard.

(5) On receipt of an appeal under sub-section (1), the Tribunal may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such order thereon as it thinks fit, confirming, modifying or setting aside the order appealed against.

(6) The Tribunal shall send the copy of every order made by it to the parties to the appeal and to the concerned authority against whose order the appeal had been preferred.

(7) The appeal filed before the Tribunal under sub-section (1) shall be dealt with by it as expeditiously as possible and endeavour shall be made by it to dispose of the appeal finally within six months from the date of receipt of the appeal.

**13. Revisionary powers of Commissioner.**— The Commissioner may, suo motu, call for and examine the record of any proceeding recorded by any officer or person subordinate to him under this Act and if he considers that any order passed therein is erroneous or it is prejudicial to the interest of revenue, pass such order as he deems fit after giving the dealer or the person concerned an opportunity of being heard.

**14. Review.**— Subject to such rules as may be made by the State Government under this Act, any authority appointed under section-8 or the Tribunal may review any order passed by it, if such review is, in the opinion of the said authority or the Tribunal, as the case may be, necessary on account of a mistake which is apparent from the record:

Provided that no such review, if it has the effect of enhancing the tax, interest or penalty or of reducing a refund shall be made unless the said authority or the Tribunal, as the case may be, has given the dealer, or the person concerned a reasonable opportunity of being heard.

**15. Appeal before High Court.**— (1) An appeal shall lie to the High Court from every order passed by the Tribunal, if the High Court is satisfied that the case involves a substantial question of law.

(2) The Commissioner or a dealer aggrieved by any order passed by the Tribunal,-

- (i) under the Bihar Electricity Duty Act, 1948, (Bihar Act 36 of 1948) as it stood before its repeal by Section-23, on or after the date of commencement of this Act; or
- (ii) under this Act, may file an appeal to the High Court, and such appeal under this section shall be filed within ninety days from the date of the communication to the dealer or the Commissioner on any question of law arising out of such order.

(3) Where the High is satisfied that a substantial question of law is involved in any case, it shall formulate the question.

(4) The appeal shall be heard only on the question so formulated and the respondents shall, at the hearing of the appeal, be allowed to argue that the case does not involve such question.

Provided that nothing in this sub-section shall be deemed to take away or abridge the power of the High Court to hear for reasons to be recorded, the appeal on any other substantial question of law not formulated by it, if it is satisfied that the case involves such question.

- (5) (a) The High Court shall decide the substantial question of law so formulated or involved and deliver such judgment thereon containing the grounds on which such decision is founded and may award such costs as it deems fit.
- (b) The High Court may determine any issue which-
  - (i) has not been determined by the Tribunal, or
  - (ii) has been wrongly determined by the Tribunal, by reason of a decision on such question of law as is referred to in sub-section (1).

(6) Save as otherwise provided in this Act, the provisions of the Code of Civil Procedure, 1908, (5 of 1908) relating to appeals to High Court, shall as far as may be, apply in the case of appeals under this section.

**16. Case before high Court to be heard by not less than two Judges.**—(1) When an appeal has been filed before the High Court under section-15, it shall be heard by a bench of not less than two Judge of the High Court, and shall be decided in accordance with the opinion of such Judges or of the majority, if any, of such Judges.

(2) Where there is no such majority, the Judges shall state the point of law upon which they differ and the case shall then be heard upon the point only by one or more of other Judges of the High Court and such point shall be decided according to the opinion of the majority of Judges who have heard the case including those who first heard it.

**17. Applicability of interest in case of delayed payment.**— (1) Any sum due on account of electricity duty, if not paid to the State Government at the time and in the manner prescribed, shall be deemed to be an arrears, and thereupon, interest on such sum shall be payable at the rate of one and half percent per month for the first three months immediately after the time such sum has become due, and thereafter at the rate of two percent per month till such sum is paid; and the sum together with any interest thereupon, shall be recoverable either through a special mode of recovery or as an arrear of land revenue—

- (i) if the sum was payable under sub-section (1) of section-6, either from the consumer, or, subject to the proviso to sub-section (2), from the licensee or any person who holds or may subsequently hold any money for or on account of the licensee at the option of the State Government or any officer authorized by the State Government in this behalf ;
- (ii) if the sum was payable under sub-section (3) of section-6, either from the consumer or from the person supplying energy and consuming fully or partly for his own use, or any person from whom any money is due or may become due to the licensee, as the case may be, supplying to other person, at the option of the State Government or any officer authorized by the State Government in this behalf.

(2) Where the consumer or, as the case may be, the licensee or a person other than the licensee, or generating company who falls under sub-section (3) or sub-section (4) of section-6, is liable to pay electricity duty, penalty and interest, and if he makes payment of the amount which is less than the aggregate of the amount of electricity duty, penalty and interest, the amount so paid shall be first adjusted towards the amount of interest, thereafter the balance if any, towards the amount of penalty and thereafter the balance if any, towards the amount of electricity duty.

(3) The State Government may, by general or special order, refund the whole or any part of electricity duty collected from the consumer who is eligible for exemption of electricity duty under the Act or various schemes of the Government.

**18. Special mode of recovery.**— (1) Notwithstanding anything contained in the Act or any law or contract to the contrary, the authority prescribed for assessment and recovery of duty may, at any time by notice in writing (a copy of which shall also be given to the licensee or to the person liable to pay duty) under this Act direct-

- (a) any person who holds or may subsequently hold any money for or on account of the licensee or the person liable to pay duty, or
- (b) any person from whom any money is due or may become due to the licensee or the person liable to pay duty who has failed to pay upto the date fixed in the notice of demand the amount of duty or penalty or surcharge payable according to the said notice of demand served upon such licensee or person or in respect of which the date of payment has not been extended by any competent authority, to pay into the Government treasury, in the same manner as have been prescribed for payment of duty either forthwith or upon the money becoming due so much of the money as is sufficient to pay the amount due from the licensee or the person liable to pay duty.

(2) The authority issuing a notice under sub-section (1) may, at any time, amend or revoke any such notice or extend the time for making payment in pursuance of the notice.

(3) Any person making any payment in compliance with a notice issued under sub-section (1) shall be deemed to have made the payment under the authority of the licensee or the person concerned and the receipt from the Government treasury shall constitute a good and sufficient discharge of the liability of that person to the licensee or the person concerned to the extent of amount specified in the receipt.

(4) Any person if not discharging the liability after service of notice under sub-section (1) on him shall be personally liable to the State Government for the amount of duty or penalty and surcharge.

(5) If amount for which any person becomes liable personally to the State Government under sub-section (4), remains unpaid, it shall be recoverable as an arrear of land revenue from him”.

(6) If any person contravenes any of the provisions of sub-section (4) of this section the prescribed authority shall after giving an opportunity of being heard by an order in writing direct

that such person shall pay by way of penalty a sum not exceeding twice the amount payable under sub-section (1).

**19. Offences and Penalties-** (1) *If any person,—*

- (a) fails to keep books of accounts or to submit returns in accordance with the provisions of section-7 and the rules made in that behalf under section-15; or
- (b) contravenes any rule made under this Act; or
- (c) willfully obstructs the Inspecting authority in the exercise of the powers conferred upon him by or under this Act, he shall, on conviction, be punished with fine which may extend to ten thousand rupees.

(2) No complaint in respect of the offence committed under sub-section (1) shall be entertained unless it is filed by the Inspecting authority.

**20. Offences by Companies.—** (1) Where an offence under this Act has been committed by a company, every person who at the time, when the offence was committed, was in charge of, and was responsible to the company for the conduct of the business of the company as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that, nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided under this Act, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

*Explanation.—*For the purposes of this section,—

(a) “company” means a body corporate and includes firm, association of persons or body of individuals whether incorporated or not; and (b) “director” in relation to a firm, means a partner in the firm, and in relation to any association of persons or body of individuals, means any member controlling the affairs thereof.

**21. Protection of action taken in good faith.—**No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any officer under this Act for anything which is, in good faith done or intended to be done under this Act.

**22. Power to make rules.—**(1) The State Government may, by notification in the *Official Gazette*, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may,—

- (a) prescribe the time and manner of payment of electricity duty, for—
  - (i) due date of payment of electricity duty ;
  - (ii) payment of electricity duty by installments ;
  - (iii) the circumstances in which and conditions subject to which and the period for which deferment of payment of electricity duty may be allowed under section-6 ;
- (b) prescribe the procedure for securing any concession or exemption under the Act ;
- (c) prescribe the form of the books of accounts to be kept, and the time at which, the form in which and the officers to whom the returns required by section-7 to be submitted ;
- (d) prescribe the functions of Inspecting authority under sub-section (1) of section-8 ;
- (e) prescribe the rules, if any, subject to which the Inspecting authority may exercise the powers under sub-section (1) of section-9;

- (f) prescribe the procedure for installation and the checking, reading and testing of meters ;
- (g) prescribe the procedure for referring question to the authority, and for filing an appeal or revision to the State Government against the orders passed by such authority ;
- (h) prescribe the procedure and the period of limitation for claiming refund of the amount of electricity duty paid in excess of the amount payable by the consumer under this Act ;
- (i) fee for supply of copies of any documents under this Act ;
- (j) to provide for giving effect to the provisions of this Act.

(3) Every rule made under this Act and every notification issued under the Act. shall be laid, as soon as may be, after it is made, before each House of the State Legislature, while it is in session for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session or sessions immediately following, both Houses agree in making any modification in any rule or both Houses agree that rule should not be made, and notify their decision to that effect in the *Official Gazette*, the rule shall, from the date of publication of such notification, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done or omitted to be done under that rule.

**23. Repeal and savings.—** *the Bihar Electricity Duty Act, 1948, stand repealed:*

Provided that, the repeal shall not affect,—

- (a) anything done or any action taken or purported to have been done or taken including any rule, notification, order or notice made or issued under the law so repealed ; or
- (b) any appointment, confirmation or declaration made or any authorization or exemption granted or any document or instrument executed and any direction given under the law so repealed ; or
- (c) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the law so repealed ; or
- (d) any investigation, legal proceedings or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty as aforesaid; and any such investigation, legal proceedings or remedy may be instituted, continued or enforced and any such penalty may be imposed as if this Act had not been enacted :

Provided further that, subject to the preceding proviso, rates of duty or interest prescribed, rules or forms framed under the provisions of the Bihar Electricity Duty Act, and any appointment of Inspecting authority made under any of the repealed provisions shall be deemed to have been prescribed, framed or made under the corresponding provisions of this Act, shall continue to be in force accordingly, unless and until superseded by anything done or any action taken under this Act.

**24. Power to remove difficulties.—** (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, as occasion arises, by an order published in the *Official Gazette*, do anything not inconsistent with the provisions of this Act, which appears to it to be necessary or expedient for the purposes of removing the difficulty :

Provided that, no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be, after it is made, before each House of the State Legislature.

## SCHEDULE

## Part-A

(See sections-3 and 6)

Sl. No	Tariff-Category of electricity bill.	Purpose of utilization of electricity supplied to various categories of Consumers.	Rate
1	PART A— RESIDENTIAL	<p>As per the Tariff Schedule of the Bihar Electricity Regulatory Commission—</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Residential- Individual BPL (Below Poverty Line) ;</li> <li>(ii) Residential- Individual non-BPL;</li> <li>(iii) Residential- common facilities within complex like lights, water, lift, recreation or community hall, club, gymnasium, swimming pool, etc. ;</li> <li>(iv) Residential- students' hostels, working women's or men's hostels ;</li> <li>(v) Residential- Hostels or Homes for destitute, physically or mentally challenged, Old-age, Orphanages, Rescue Homes, Asylum, <i>Dharamshala</i> ;</li> <li>(vi) Religious place of worship ;</li> <li>(vii) Telephone booths run by physically challenged persons ;</li> <li>(viii) Categorized under Residential but for social cause;</li> <li>(ix) Any other premises not covered above.</li> </ul>	<p>At such rate or rates not exceeding twenty per cent. Of the consumption charges, as the State Government may, either prospectively or retrospectively, by notification in the <i>Official Gazette</i>, specify.</p>
2	PART B— COMMERCIAL	<p>As per the Tariff Schedule of the Bihar Electricity Regulatory Commission-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Business or Commercial Establishments-Corporate or Administrative Offices or Shops or Shopping Malls or Showrooms, Banks, ATMs, etc. ;</li> <li>(ii) Common facilities in Business or Commercial Establishments like lighting, lifts, security, fire-fighting, water pumping;</li> <li>(iii) Community Centers-Marriage, Community, Seminar, Exhibition, Meeting or Town Halls ;</li> <li>(iv) Public entertainment- Cinemas, Theatre, Studios, Multiplexes, Leisure or Recreation places, etc. ;</li> <li>(v) Hospitality - Hotels, Guest - Houses, Tourism Centers, Restaurants, Ice-cream Parlors, Coffee Shops, Fast Food Centers or stalls, etc. ;</li> <li>(vi) Communication - Telephone Exchanges, Mobile Towers, Satellite Antennas, Public Call Centers or Booths, TV or Radio Stations, Internet or Cyber Cafes, etc. ;</li> <li>(vii) Service oriented- Beauty Parlors, Saloons, Service or Repair Centers, Laundries, Garages, Tailoring, Call Centers, etc. ;</li> <li>(viii) Institutes- Educational, Training ;</li> <li>(ix) Health activities- Sports Clubs, Health Clubs, Gymnasium, Swimming Pools, etc. ;</li> <li>(x) Construction – New or Renovation of Buildings, Structures, Infrastructures, Roads, Aerodromes, Tunnels, Utilities, etc. ;</li> </ul>	<p>At such rate or rates not exceeding thirty per cent. of the consumption charges, as the State Government may, either prospectively or retrospectively, by notification in the <i>Official Gazette</i>, specify.</p>



Sl. No	Tariff-Category of electricity bill.	Purpose of utilization of electricity supplied to various categories of Consumers.	Rate
		(xi) External Illuminations of Monumental or Heritage or Historical Buildings, structures, places, etc. ; (xii) Science and Research – Research and Development Centers, Laboratories, Aquacultures, Fisheries, Sericulture, Cattle Breeding, Insemination ; (xiii) Aquaculture, Sericulture, Fisheries ; (xiv) Hospitals, Clinics, Dispensaries, Pathological Laboratories or Diagnostic Centers or Radiological Imaging Centers, etc. ; (xv) Information Technology (IT)—Software Development, Data Processing, etc. not recognized under Industry category and not having such status given by the Government ; (xvi) Premises rented or leased by the consumer along with electricity as an Utility Service ; (xvii) Categorized under Commercial but for social cause ; (xviii) Any other establishment not covered above.	
3	PART C— AGRICULTURAL	As per the Tariff Schedule of the Bihar Electricity Regulatory Commission- (i) Pumping; (ii) Poultry; (iii) High-Tech Green Houses, Tissue Cultures, Mushrooms, etc. ; (iv) Floriculture, Horticulture, Nurseries, Plantations; (v) Cane Crusher, Fodder cutter etc. for agricultural process and self-use but not applicable to oil mill, flourmill, etc. ; (vi) Cold-storages, Precooling; (vii) Categorized under Agricultural but for social cause ; (viii) Any other agricultural activity not covered above.	At such rate or rates not exceeding twenty per cent. Of the consumption charges, as the State Government may, either prospectively or retrospectively, by Notification in the <i>Official Gazette</i> , specify.
4	PART D— TEMPORARY	As per the Tariff Schedule of the Bihar Electricity Regulatory Commission- (i) Religious electrical installation provided with temporary electric supply; (ii) Categorized under ‘Temporary’ but for social cause ; (iii) Any electrical installation other than religious, provided with temporary electric supply.	At such rate or rates not exceeding thirty per cent. of the consumption charges, as the State Government may, by notification in the <i>Official Gazette</i> , specify.
5	PART E— ADVERTISEMENTS AND HOARDINGS	As per the Tariff Schedule of the Bihar Electricity Regulatory Commission - Advertising Advertisement or Sign Boards, Hoardings, etc.	At such rate or rates not exceeding thirty per cent. of the consumption charges, as the State Government may, by notification in the <i>Official Gazette</i> , specify.

Sl. No	Tariff-Category of electricity bill.	Purpose of utilization of electricity supplied to various categories of Consumers.	Rate
6	PART F— INDUSTRIAL	<p>As per the Tariff Schedule of the Bihar Electricity Regulatory Commission-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Flour Mill, Dal Mill, Rice Mill, Poha Mill, Masala Mills, Saw Mills, Power Looms including other allied activities like, Warping, Doubling, Twisting, etc. ;</li> <li>(ii) Ice Factory, Ice- cream Manufacturing Units, Milk Processing or Chilling Plants (Dairy) ;</li> <li>(iii) Engineering workshops, Engineering Goods Manufacturing units, Printing Press, Transformer repairing workshops ;</li> <li>(iv) Mining, Quarry and Stone Crushing units;</li> <li>(v) Garment Manufacturing Units ;</li> <li>(vi) LPG or CNG bottling plants, etc. ;</li> <li>(vii) Sewage Water Treatment Plants or Common Effluent Treatment Plants, owned, operated, managed, by the Association situated within the industrial area only;</li> <li>(viii) Information Technology (IT) – IT Parks, Software Development, Data Processing, etc., recognized under the ‘Industry’ category and having such status given by the State Government ;</li> <li>(ix) Categorized under ‘Industrial’ but for social cause ;</li> <li>(x) Category or categories as classified by the Department of Industries of the Government of Bihar under ‘Industrial Policy’;</li> <li>(xi) Any other industry not covered above.</li> </ul>	<p>At such rate or rates not exceeding fifteen per cent. of the consumption charges, as the State Government may, either prospectively or retrospectively, by notification in the <i>Official Gazette</i>, specify.</p>
7	PART H— MONO AND METRO RAIL	<p>As per the Tariff Schedule of the Bihar Electricity Regulatory Commission.</p>	<p>At such rate or rates not exceeding twenty per cent. of the consumption charges, as the State Government may, either prospectively or retrospectively, by notification in the <i>Official Gazette</i>, specify.</p>

**Part-B**  
(See sections-3 and 6)

Consumption of power produced from-	Utilization purposes	Rate
(i) Captive Power,	(i) Self-use	At such rate or rates not exceeding one hundred fifty <i>paise</i> per unit, as the State Government may, either prospectively or retrospectively, by notification in the <i>Official Gazette</i> , specify.
(ii) Power from Co-Generation,		
(iii) Stand by Generation,		
(iv) Power from Renewable Energy,		
(v) Independent Power Producer (IPP).	(ii) Supply to other person or persons.	Prevailing rates of Distribution Company or Licensee as per Schedule A, as the State Government may, either prospectively or retrospectively, by notification in the <i>Official Gazette</i> , specify.

**Part-C**  
(See sections-3 and 6)

Sr. No.	Generation Category	Utilization purposes	Rate
1.	Open access	(i) Self-use	Prevailing rates of Distribution Company or Licensee as per Schedule A, as the State Government may, either prospectively or retrospectively, by notification in the <i>Official Gazette</i> , specify.
2	Other	(ii) Supply to other person or persons.	

By order of the Governor of Bihar,  
MANOJ KUMAR,  
*Joint Secretary to the Government.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 410-571+400-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>